

का अवसर मिला।

- **नरिण्यों को चुनौती दी गई:**
 - IBC के तहत कई हाई प्रोफाइल मामलों में हतिधारकों द्वारा कई नरिण्यों को चुनौती दी गई। इनमें से कई अपील दवालयि कार्यवाही को धीमा करने के लयि की गई है।
- **वलंबित योजनाएँ:**
 - जनि मामलों में लेनदारों ने नरिदषिट समयसीमा के बाद प्रस्तुत समाधान योजनाओं का मूलयांकन कयि है, वे बोलीदाताओं को नरिधारति समयसीमा के भीतर बोली लगाने में हतोत्साहति करेंगे और ऐसी योजनाएँ देरी और मूल्यहवास को भी बढ़ावा देती हैं।

सफिरशिन:

- **समय पर कार्रवाई:**
 - NCLT द्वारा एक डफिल्ट कंपनी को दवाला कार्यवाही में शामिल करने और 30 दनिों के भीतर इसके नरितरण को एक समाधान पेशवर को सौपने की आवश्यकता है।
- **मंत्रालय को ज़मिमेदारी लेनी चाहयि:**
 - नोडल मंत्रालय के रूप में MCA को एनसीएलटी/नेशनल कंपनी लॉ अपीलट टरबियूनल में परचालन प्रकरयिओं को सुव्यवस्थति करने हेतु अधिक ज़मिमेदारी लेनी चाहयि, जबकि समाधान, वसूली, समय आदक के संबध में कार्य की गति, नपिटान और परणामों की लगातार नगिरानी एवं वश्लेषण कयि जाना चाहयि।
- **IBC में संशोधन:**
 - मौजूदा आर्थिक माहौल में एमएसएमई, जो कि IBC के तहत परचालन लेनदार हैं, को अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लयि आईबीसी में संशोधन कयि गया है।
 - वत्तीय लेनदार वे हैं जनिका इकाई के साथ संबध एक शुद्ध वत्तीय अनुबंघ है, जैसे कर्ण या ऋण सुरक्षा।
 - परचालन लेनदार वे हैं जनिका दायतिव इकाई संचालन को लेकर लेन-देन से है।

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधकिरण

परचिय

- केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 में कंपनी अधनियम, 2013 की धारा 408 के तहत 'राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधकिरण' (NCLT) का गठन कयि था।
- यह भारत में पंजीकृत कंपनयिों को नरितरति करने हेतु एक अर्द्ध-न्यायकि नकाय के रूप में स्थापति कयि गया है और इसने 'कंपनी लॉ बोर्ड' का स्थान लयि है।
- इसके पास भारत में पंजीकृत कंपनयिों को नरितरति करने हेतु समग्र शकतयि मौजूद है।
 - NCLT और NCLAT की स्थापना के साथ कंपनी अधनियम, 1956 के तहत गठति 'कंपनी लॉ बोर्ड' भंग कर दयि गया था।
- यह नागरकि प्रकरयि संहति में नरिधारति नयिमों से बाध्य है और प्राकृतकि न्याय के सदिधांतों द्वारा नरिदेशति है, साथ ही यह अधनियम के अन्य प्रावधानों और केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कसी भी नयिम के अधीन है।
- टरबियूनल और अपीलीय टरबियूनल को अपनी प्रकरयि को नरितरति करने की शकति है।

अपील

- टरबियूनल के आदेश के वरिद्ध NCLAT में अपील की जा सकती है। NCLT के आदेश या नरिणय से व्यथति कोई भी अपीलकर्त्ता आदेश या टरबियूनल के नरिणय की प्रतप्राप्त होने की तारीख से 45 दनिों की अवध के भीतर अपील कर सकता है।

राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधकिरण (NCLAT)

परचिय

- NCLAT का गठन कंपनी अधनियम, 2013 की धारा 410 के तहत 'राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधकिरण' (NCLT) के आदेशों के खलिफ अपील सुनने के लयि कयि गया था।
- यह दवाला और दवालियापन संहति, 2016 की धारा 61 के तहत पारति आदेश तथा दवाला और दवालियापन संहति, 2016 की धारा 202 और 211 के तहत 'भारतीय दवाला और दवालियापन बोर्ड' (IBBI) द्वारा पारति आदेशों के खलिफ भी एक अपीलीय अधकिरण है।

अपील

- NCLAT के कसी भी आदेश के वरिद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है।

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/delays-in-corporate-insolvency>

